

विचार



दैनिक जागरण

प्रेम के बिना जीवन वैसा ही है, जैसे फल-फूल के बिना वृक्ष

चिदंबरम की गिरफ्तारी

आखिरकार पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को सीबीआइ की गिरफ्त में जाना ही पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि न तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और न ही सीबीआइ की विशेष अदालत से। अच्छा यह होता कि दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत याचिका खारिज होने के बाद वह खुद को सीबीआइ के हवाले कर देते, लेकिन उन्होंने उसे चकमा देकर छिपाना जरूरी समझा। 24 घंटे से अधिक समय तक लापता रहने के बाद उन्होंने कांग्रेस के मुख्यालय में उपस्थित होकर जिस तरह अपनी सफाई पेश की उससे यही जाहिर हुआ कि वह केवल खुद को निर्दोष ही नहीं बताना चाहते थे, बल्कि यह भी प्रकट करना चाहते थे कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। पार्टी दफ्तर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह भी साफ हुआ कि खुद कांग्रेस यह संदेश देना चाह रही थी कि वह घपले-घोटाले के गंभीर आरोपों से घिरे पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ है। समस्या केवल यह नहीं कि कांग्रेस के छोटे-बड़े नेता चिदंबरम का बचाव कर रहे हैं, बल्कि यह है कि वे उन्हें क्लीनचिट भी दे रहे हैं। आखिर जो काम अदालत का है वह कांग्रेसी नेता क्यों कर रहे हैं? आखिर उनके मामले में अदालत के फैसले मान्य होंगे या फिर कांग्रेसी नेताओं के वक्तव्य? एक सवाल यह भी है कि सीबीआइ से लुका-छिपी का खेल खेलकर चिदंबरम को क्या हसिल हुआ? आखिर उन्होंने पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अपने घर जाकर दरवाजा बंद कर लेना जरूरी क्यों समझा? क्या यह अच्छी बात है कि देश के पूर्व गृह मंत्री, राज्यसभा सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के वकील को हिरासत में लेने के लिए सीबीआइ अफसरों को उनके घर की दीवार फांदनी पड़ी?

चूँकि सीबीआइ के बाद प्रवर्तन निदेशालय को भी चिदंबरम से पूछताछ करनी है इसलिए उन्हें लंबे समय तक जांच एजेंसियों से दो-चार होना पड़ सकता है। पता नहीं आइएनएक्स मीडिया घोटाले में चिदंबरम की क्या और कैसी भूमिका है, लेकिन यह उनके अपने हित में है कि इस मामले का निस्तारण जल्द हो। यह तभी होगा जब वह जांच में सहयोग करेंगे। मामले का जल्द निस्तारण जांच एजेंसियों के साथ ही अदालतों को भी सुनिश्चित करना चाहिए। यह इसलिए जरूरी है, क्योंकि आम तौर पर नेताओं के मामलों में जांच के साथ ही अदालती कार्यवाही भी लंबी खिंचती है। निःसंदेह ऐसा इसलिए भी होता है, क्योंकि घपले-घोटाले से घिरे नेता बड़ी आसानी से अदालत-अदालत खेलते रहते हैं। क्या यह सहज-सामान्य है कि चिदंबरम को बार-बार अग्रिम जमानत मिलती रही? क्या ऐसी ही सुविधा आम लोगों को भी मिलती है? बेहतर हो कोई यह सुनिश्चित करे कि रस्मूख वालों के मामलों का निस्तारण एक तय समय में हो।

डेंगू का डंक

उत्तराखंड में डेंगू थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसका दायर तेजी से बढ़ रहा है। यह स्थिति स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा रही है। भले ही विभाग इसमें कितनी भी सक्रियता का दावा कर रहा हो, लेकिन जिस तरह से इसका प्रकोप बढ़ रहा है, उससे यह साफ है कि डेंगू पर रोकथाम का काम सही तरीके से नहीं हो रहा है। चिंता की एक बात अब और निकल कर सामने आ रही है और वह यह कि डेंगू अब खतरनाक होने लगा है। शुरुआत में डेंगू एक सामान्य बुखार की तरह ही हो रहा था, लेकिन अब इससे लोगों को लिवर और प्वास संबंधी दिक्कतें होने लगी हैं। यह स्थिति सही नहीं कही जा सकती। दरअसल बीए एक माह के आंकड़ों को उत्र कर देखें तो प्रदेश में अब तक डेंगू के 493 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 319 पुरुष और 174 महिलाएं शामिल हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। यह हालत तब है जब डेंगू को लेकर विभाग महीनों पहले से कार्ययोजना तैयार करने में जुटा हुआ था। जगह-जगह फॉगिंग कराने का दावा भी किया गया। बावजूद इसके डेंगू का लगातार बढ़ना विभागीय तैयारियों पर सवाल उठा रहा है। अब स्थिति यह हो गई है कि सरकारी एवं निजी अस्पतालों में प्लेटलेट्स कम पड़ने लगे हैं। इसकी कमी को पूरा करने में स्वास्थ्य महकमे के पसीने छूट रहे हैं। तिमारदारों को भी खासी पंशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में बिस्तरों की कमी और अव्यवस्था दुश्वारियां और बढ़ा रही है। डेंगू के प्रकोप में जो एक बात प्रमुख रूप से सामने आई है, वह यह कि विभाग इस बीमारी को लेकर लोगों को जागरूक करने में नाकाम रहा है। यह इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि जहां भी स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे पर जा रही है, वहां उन्हें डेंगू के लार्वा मिल रहे हैं। डेंगू के लार्वा को पनपने के लिए के लिए टैंकों और कूलरों में रुका पानी सबसे अधिक मुफेद रहता है और ऐसा ही सर्वे के दौरान देखने को मिल रहा है। सरकार एवं विभाग को अब डेंगू पर रोकथाम के लिए फॉगिंग और सफाई कराने के साथ ही व्यापक स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। सामूहिक प्रयास से ही डेंगू पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सरकार को इस बार के अनुभव को देखते हुए भविष्य में डेंगू से निपटने को और अधिक कारगर कदम उठाने की जरूरत है।

मजबूत इच्छाशक्ति से बदलाव लाते मोदी



अमित शाह

मोदी सरकार की कार्य पद्धति का मूल्यांकन करें तो ऐसे अनेक कदम नजर आएंगे, जिन पर कभी किसी सरकार ने कदम उठाना तो दूर, सोचा तक नहीं था

आजादी के बाद हुए 17 लोकसभा चुनावों में देश ने 22 सरकारें और 15 प्रधानमंत्री देखे हैं। निःसंदेह इन सभी सरकारों ने राष्ट्र निर्माण में अपने विवेक के अनुसार कुछ न कुछ किया, परंतु ऐसी सरकारें विरली रहीं जो दूरगामी परिणाम लाने वाले काम कर सकीं। अपने 55 वर्षों के शासन में कांग्रेस को आठ बार पूर्ण बहुमत वाला जनादेश मिला, लेकिन उसने शायद दस काम भी ऐसे नहीं किए जिससे देश को निर्णायक दिशा मिली हो। हालांकि वाजपेयी सरकार ने अल्पकाल में कई बड़े काम करने के प्रयास किए, परंतु बहुमत के अभाव में उनका प्रभाव सीमित रहा। देश में पहली बार 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में परिवर्तन की जो बयार बहती दिख रही है उसके पीछे मोदी सरकार ने अब तक के अपने कार्यकाल में ही दर्जनों ऐसे काम किए हैं जिनसे न केवल सामान्य जन के जीवन-स्तर में गुणात्मक सुधार आया है, बल्कि भारत की प्रतिष्ठा भी विश्व में फिर से स्थापित हुई है।

मोदी जी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी अतुलनीय दृढ़ इच्छाशक्ति है, जिसका सबसे ताजा उदाहरण राज्यसभा में संख्याबल न होने के बावजूद अनुच्छेद-370 और 35-ए को समाप्त करना रहा। इन दोनों अनुच्छेदों के

कारण कश्मीर देश की विकास की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाया जिससे वहां आतंकी और अलगाववादी शक्तियां फल-फूल रही थीं। आतंकी हिंसा से 41 हजार कश्मीरी मौत का शिकार हुए, केंद्र से भेजी जाने वाली विकास की राशि गिने चले लोगों की जेब भरती रही और कई पीढ़ियां गरीबी और अशिक्षा का दंश झेलती रही। टुट्टीकरण की राजनीति और इच्छाशक्ति की कमी के कारण किसी भी नेता या सरकार ने जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद-370/35-ए से मुक्ति दिलाने का साहस नहीं किया। यह एक देश एक संविधान के सपने को पूरा करने की मोदी जी की मजबूत इच्छाशक्ति ही थी जिनमू-कश्मीर को अनुच्छेद-370/35-ए से मुक्ति मिल सकी।

यह भी मोदी जी की दृढ़ इच्छाशक्ति ही है कि वह विषम राजनीतिक परिस्थितियों में भी अनेक कठिन फैसले ले सके। कभी असंभव से दिखने वाले सर्जिकल एवं एयर स्ट्राइक जैसे फैसले लेना मोदी जी को देश का अब तक का सबसे मजबूत इच्छाशक्ति वाला प्रधानमंत्री साबित करता है। स्वतंत्रता के बाद देश की सरकारें अमीर-गरीब, शहर-गांव, कृषि-उद्योग जैसे अनेक विरोधाभासों से ग्रस्त रहीं। कुछ शक्तियों ने ऐसा वैचारिक वातावरण बना दिया था जिससे ये भ्रामक दृढ़ देश के विकास में एक बड़ी बाधा बन गए। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने तत्काल इस दृढ़ को खत्म किया। अमीर और गरीब को खाई



अवधेश राजपूत

पाट कर सबको एक साथ लेकर चलने की नीति प्रधानमंत्री मोदी के इस कथन से स्पष्ट होती है कि देश में सिर्फ दो वर्ग हैं, एक गरीब और दूसरा गरीबी हटाने वाला।

मोदी सरकार की नीतियों में गरीबों के कल्याण के प्रति चिंता और अनोदय का भाव स्पष्ट नजर आता है। सामान्य जन के जीवन में बदलाव लाना मोदी सरकार की प्राथमिकता है। जनधन, मुद्रा, सौभाग्य, स्वच्छ भारत, श्रमयोगी मानधन पेंशन, किसान पेंशन और लघु व्यापारी मानधन जैसी दर्जनों योजनाओं के माध्यम से सरकार ने आमजन के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने और उन्हें सामाजिक-आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास किया है। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के अदम्य संकल्प को पूरा करने के लिए भी अनेक कदम लिए गए हैं, जिनमें नीम कोटेड यूरिया लाना, समर्थन मूल्य में डेढ़ गुना वृद्धि, समर्थन मूल्य दायरे का विस्तार, यूरिया सब्सिडी में वृद्धि, मुदा स्वास्थ्य कार्ड, फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि योजना आदि प्रमुख हैं। तीन तलाक उन्मूलन, उज्वला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि, मातृत्व अवकाश में वृद्धि जैसे निर्णयों के जरिये भी

अनुदारता से भरे उदारवादी



प्रो. निरंजन कुमार

हमारे तथाकथित लिबरल तो सही मायने में उदारवादी हैं ही नहीं, वास्तव में वे छद्म उदारवादी हैं



जसूर अनोखा था, जहां सामंती और चर्च व्यवस्था ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। प्राचीनकाल में जहां तरुणों को विनाइने और नास्तिकता का आरोप लगाकर सुकरात को जहर दे दिया गया था, वहीं 1633 में वृद्ध गैलीलियो को उनकी मान्यताओं के कारण चर्च की ओर से कारावास दिया गया था, जबकि भारतीय समाज में अभिव्यक्ति की आजादी की सुदीर्घ प्राचीन परंपरा है। आदिग्रंथ ऋग्वेद में कहा गया है कि हम सब एक साथ आए, आपस में बात करें, एक-दूसरे को समझें। यही आचरण वंदनीय और श्रेष्ठ है।

इसी तरह वैदिक 'न्याय दर्शन' में विचार-विमर्श के सूत्रों में 'वाद', 'जल्प' और 'वितंडा' का उल्लेख है जो संवाद-विवाद के विभिन्न रूप हैं। हमारे शास्त्रार्थ, खंडन-मंडन की परंपरा में स्त्रियों की भी सक्रिय भूमिका थी। याज्ञवल्क्य एवं गार्गी अथवा आदि शंकराचार्य एवं भारती के बीच हुए शास्त्रार्थ जगप्रसिद्ध हैं। ऐसे में भारतीय चिंतन परंपरा को क्या माना जाए उदारवादी अथवा अनुदारवादी? जहां पश्चिम और पश्चिम-परस्त तथाकथित भारतीय उदारवादियों के बहुत पहले प्राचीन काल से ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या वाद-संवाद की प्रतिष्ठा है। वहीं दूसरी तरफ तथाकथित भारतीय उदारवादियों एवं उनके वामपंथी सहचरों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दोहरे मानदंड की कलाई तब खुल जाती है जब एमएफ ह्रूसैन के प्रतिबंध पर तो वे हो-हल्ला मचाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ तसलीमा नसरीन के मुद्दे पर मौन साध लेते हैं।

उदारवाद का अन्य लक्षण है व्यक्ति की स्वतंत्रता, जो व्यापक अर्थ में व्यक्ति की पूर्ण सत्ता की प्रतिष्ठा है। दिलचस्प है कि यूरोप में व्यक्ति की स्वतंत्रता या प्रतिष्ठा के जो स्वर 17वीं-18वीं सदी में जाकर उठे, उसके बरक्स भारतीय परंपरा का जो स्वर की प्रतिष्ठा या आजादी का उद्घोष भी संतान काल से है। वृहदारण्यक उपनिषद का महावाक्य 'अहं ब्रह्मास्मि' अर्थात् में ही ब्रह्म हूं, की व्याख्या व्यक्ति और व्यक्ति-स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा है, जहां व्यक्ति में ही ईश्वर का निवास मान लिया गया है। इसी तरह शास्त्रों में उल्लिखित वाक्य 'यत् पिण्डे तद् ब्रह्माण्डे' अर्थात् जो ब्रह्माण्ड (संसार) में है वही पिंड (मनुष्य) में भी है। बहुलतावाद की उदारवाद का एकमहत्त्वपूर्ण लक्षण है, लेकिन विसंगति यह है कि आजादी के बाद से शिक्षा-ज्ञान और पाठ्यक्रमों से लेकर बौद्धिक-सांस्कृतिक विशेशों में इस बहुलतावाद को ढूंढा जाए तो एक निराशा होती है। इन सबमें भारतीय परिप्रेक्ष्य और भारतीय दृष्टिकोण शायद ही कहीं नजर आता हो। मिसाल के तौर पर पश्चिमी चरम के प्रभाव में हम कालिदास को भारत का शेक्सपीयर और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, जबकि कालक्रम, प्रतिभा और उपलब्धि में दोनों भारतीय ऊपर हैं। यहां तथाकथित भारतीय लिबरल अनुदारवादी दिखाई पड़ते हैं। एक विडंबना यह भी है कि हमारे तथाकथित बुद्धिजीवियों को बहुलतावाद का सभक पश्चिम में ही दिखाई पड़ता है, जबकि ऋग्वेद के 'एकं सत् विभ्राः बहुधा वदन्ति' अर्थात् सत्य एक है, परंतु ज्ञानी उसे विभिन्न तरीकों से व्याख्या करते हैं, से बड़ा बहुलतावाद का संदेश और क्या होगा? वायु पुराण में उल्लिखित है 'मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना' और 'नवा वाणी मुखे मुखे' अर्थात् जितने मनुष्य हैं, उतने विचार हैं। एक ही घटना का बयान हर व्यक्ति अपने-अपने तरीके से करता है।

तर्कबुद्धि और विवेकशीलता उदारवाद का एक अन्य लक्षण है। उदारवादी किसी भी समस्या को अड़ियल या पूर्वाग्रह नजरिये से नहीं देखता। इस कसौटी पर तथाकथित भारतीय उदारवादी फिर बेनकाब हो जाते हैं। इसका उदाहरण तीन तलाक और फिर कश्मीर के मामले पर उनके कुतर्कों में पढ़ा जा सकता है। पश्चिमी कसौटियों में ही अनिवार्य है। इसी कारण ऋषियों ने कहा है कि मनुष्य। अपने जीवन में धर्म का आचरण करो, क्योंकि शरीर के अंत के बाद उस अनिवार्य अनंत यात्रा पर केवल धर्म ही साथ जाता है और वही कल्याणकर होता है।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com



ऊर्जा

सतर्कता

जब भी कभी हमारा कोई प्रिय एक-दो दिन की यात्रा पर जाता है, तब हम यात्रा के दौरान उसे बार-बार सतर्क रहने के लिए कहते हैं। उसे यह बोलते हैं कि वह यात्रा के दौरान किसी भी अपरिचित से मिल न करे, किसी का दिया हुआ खाए नहीं और किसी अपरिचित के साथ कहीं अज्ञात स्थान पर भी न जाए। यह सब हम तब कहते हैं, जब जाने वाले का गंतव्य स्थान निश्चित होता है। यात्रा अल्पकालिक होने के साथ ही साथ यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति के लौटने का समय भी निश्चित होता है। व्यवहार-दृष्टि से इसे नकारा नहीं जा सकता और ऐसा करना अनुचित भी नहीं है, किंतु जीवन-व्यवहार में हम अपने अपने अपने परिचार को सुरक्षा के प्रति सतर्क रहते हुए यह भूल जाते हैं कि मनुष्य की जीवन यात्रा केवल इसी लोक तक सीमित नहीं है, अपितु इसे एक न एक दिन अपना शरीर छोड़कर उस अनंत यात्रा पर निकलना है, जिस यात्रा का न तो आरंभ करने का समय निश्चित होता है, न यह जानकारी होती है कि यात्रा करने वाले को जाना कहां है, किससे मिलना है, वहां पहुंचकर क्या करना है, लौटकर आना भी है अथवा नहीं आना है। जाने का रास्ता भी ज्ञात नहीं होता और साथ में किसी तरह का सामान भी नहीं होता।

यह सब देख-सुनकर ही शास्त्र और शास्त्रकार कहते हैं कि लोक जीवन की सभी यात्राओं में सतर्क रहते हुए हमें अपने परलोक जीवन की यात्रा के लिए भी सतर्क रहना चाहिए और यह विचार करते रहना चाहिए कि उस यात्रा पर जाने के लिए हम कैसे तैयारी करें, क्योंकि उस यात्रा में इस संसार की कोई भी सामग्री हमारे साथ नहीं जाएगी और न ही कोई हमारा प्रिय से प्रियतम भी हमारे साथ जा सकेगा। इतना ही नहीं, हमारा अपना यह शरीर भी हमें यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। यह यात्रा केवल मनुष्य के लिए ही नहीं, अपितु जीवमात्र के लिए अनिवार्य है। इसी कारण ऋषियों ने कहा है कि मनुष्य। अपने जीवन में धर्म का आचरण करो, क्योंकि शरीर के अंत के बाद उस अनिवार्य अनंत यात्रा पर केवल धर्म ही साथ जाता है और वही कल्याणकर होता है।

डा. गदाधर त्रिपाठी

पर्यटन से खुलेगी रोजगार की राह

सौरभ सिंह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर कहा कि साल 2022 तक प्रत्येक देशवासी को कम से कम 15 पर्यटक स्थलों पर जाना चाहिए। इस तरह उन्होंने घरेलू पर्यटकों को अपने यहां के महत्वपूर्ण स्थलों को देखने-समझने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया है। देखा जाए तो पर्यटन एक ऐसा उद्योग है जो देश को राजस्व तो प्रदान करता ही है साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के अनेक अवसर भी उपलब्ध कराता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में पर्यटन का 9.4 फीसद योगदान है। इसका 88 फीसद घरेलू पर्यटन से प्राप्त होता है। देश के कुल रोजगार अवसरों में से 9.3 फीसद पर्यटन के माध्यम से ही आते हैं। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2028 तक इस उद्योग के माध्यम से वर्तमान में उत्पन्न होने वाले 42.9 करोड़ रोजगार के अवसरों की तुलना में 52.3 करोड़ रोजगार उत्पन्न होंगे। वैश्विक स्तर पर पर्यटन एक बड़ा उद्योग है। यह कई क्षेत्रों में अवसर सृजित करता है। बड़े पैमाने पर नौकरियां प्रदान करता है। भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक

पर्यटन देश को राजस्व तो प्रदान करता ही है, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराता है

स्थिति के चलते इसे अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। हालांकि इस दिशा में कुछ सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, जिसके कारण 2016 में पूरे विश्व में पर्यटन का 4 फीसद वृद्धि की तुलना में भारत में यह 9.7 फीसद दर्ज की गई। वर्ष 2017 में लगभग 1.4 करोड़ विदेशी पर्यटक भारत आए, जबकि 2014 में यही आंकड़ा 76.8 लाख था। इसके बावजूद भारत इस मामले में अभी भी कई देशों से पीछे है। जैसे कि चीन विश्व पर्यटन के आकर्षण का केंद्र माना जाना लगा है। वर्ष 2010 में चीन ने पर्यटन के जरिये 4580 करोड़ अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए। विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले देशों में चीन चौथे स्थान पर रहा है। इसी प्रकार यूरोप में स्विट्जरलैंड छोटा सा खूबसूरत देश है उसकी जनसंख्या से अधिक तो वर्ष पर्यटक ही आते रहते हैं। वहां

के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन उद्योग 2.9 फीसद का योगदान रहता है।

जाहिर है आज भारत में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्य योजना की दरकार है। आज जब सरकार पर्यटन उद्योग को प्राथमिकता दे रही है तो इसके लिए सबसे पहले उद्युवन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए कुछ समय तक वीजा शुल्क माफ किया जाना चाहिए। साथ ही तटीय क्षेत्रों में पर्यटन के उद्देश्य से विशेष परियोजनाएं लाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए देशों में पर्यटन के लिए जानी चाहिए। पर्यटन को बढ़ावा मिल सके इसके लिए निजी क्षेत्र से भी सामंजस्य बैठाना चाहिए। पर्यटन स्थलों तक आने जाने और वहां ठहरने की पर्याप्त सुविधा यहीं चाहिए। पर्यटकों की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत में पर्यटक स्थलों की कमी नहीं है। इनको विश्व पटल पर उभारने की दरकार है। एक बार जब घरेलू पर्यटक वहां जाने लगेंगे तब विदेशी पर्यटकों में भी उन्तरे प्रति दिलचस्पी बढ़ेगी। उम्मीद है पीएम मोदी की मुहिम जल्द ही रंग लाएगी।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

^[1] संस्थापक-स्व. पूर्णचंद्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेंद्र मोहन, संपादक/निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नामगण प्रकाशन लि, के लिए- नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*

^[2] दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721

^[3] आर.बी. एच.के अंतर्गत उत्तरवादी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अंतर्गत ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।